भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3253

दिनांक 31.03.2022 को उत्तर देने के लिए

श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के संबंध में शिकायतें

3253. श्री नीरज डांगी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश में रह रहे विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों सहित वहां नियोजित किए गए कामगारों का कोई डाटाबेस तैयार किया है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न देशों में काम कर रहे भारतीय कामगारों की ओर से श्रम कानूनों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समस्याओं का सामना कर रहे भारतीयों को सहायता प्रदान करने में सरकार की क्या भूमिका रही है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) सरकार 18 अधिसूचित ईसीआर देशों में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाले उत्प्रवास जांच आपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के श्रमिकों का डेटाबेस रखती है। सरकार शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भारत से जाने वाले छात्रों की संख्या का विवरण भी रखती है। इस तरह के डेटा को भारत से प्रस्थान करने वाले छात्रों के आधार पर, उत्प्रवासन ब्यूरो द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा, विदेश स्थित मिशन एवं केंद्रों ने अपनी बेवसाइट पर सभी भारतीय नागरिकों के लिए स्वयं के पंजीकरण हेतु एक पंजीकरण लिंक उपलब्ध कराया है। छात्रों के पंजीकरण के लिए मदद पोर्टल पर एक छात्र मॉड्यूल भी उपलब्ध कराया गया है।

(ख) जी हां, हमारे मिशन/केंद्रों में भारतीय प्रवासी कामगारों की ओर से समय-समय पर अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन, प्रतिकूल कार्य स्थिति, मजदूरी का भुगतान न करने, नियोक्ता संबंधी समस्याओं, चिकित्सा और बीमा संबंधी समस्याओं तथा मुआवजा/मृत्यु दावे से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर शिकायतें प्राप्त होती रही है।

(ग) सरकार रोजगार और कल्याण से संबंधित चिंताओं को दूर करने और कठिनाईयों का सामना कर रहे भारतीयों को सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सरकारों के साथ निकट समन्वय में कार्य कर रही है। ऐसी शिकायतों की प्राप्ति के तुरंत बाद, भारतीय मिशन संबंधित प्राधिकरणों के साथ मिलकर उनकी शिकायतों का निवारण करते हैं। इसमें संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों के लिए जरूरत के आधार पर वित्त सहायता भी शामिल है। सरकार ने भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ), प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके), सामुदायिक कल्याण विंग, 24*7 हेल्प-लाइन, विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों में ओपन हाउस, ई-माइग्रेट प्रणाली, पूर्व प्रस्थान अभिविन्यास कार्यक्रम, मदद पोर्टल, आश्रय गृह जैसे विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, सरकार ने खाड़ी देशों सहित

प्रमुख गंतव्य देशों के साथ श्रम रोजगार और सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, शिकायतों का निवारण और भारतीय कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त कार्य समूहों की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

***